"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2017 —— श्रावण 5, शक 1939

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

नया रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2017

आदेश

क्रमांक 6932/2251/21-ब/छ. ग./2017. — माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, की अनुशंसा पर राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 13 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अशोक कुमार गोयल जो कि वर्तमान में न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जशपुर में पदस्थ है, को लोक हित में, इस आदेश की तामीली तिथि से, सेवा निवृत्त करता है. उनको वैधानिक सूचना अवधि के स्थान पर नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा.

No.6932/2251/XXI-B/C. G./2017. — On the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, exercising the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 13 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the State Government, hereby, retires in public interest Shri Ashok Kumar Goyal, Member of Chhattisgarh Higher Judicial Service, presently posted as Judge, Family Court Jashpur, from service from the date of service of this order. He shall be paid salary in lieu of statutory notice period as per rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.